न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सं0 47/22 (221/98)

दर्शनसिंह पुत्र श्री हमीरसिंह जाति कुम्हार साकिन 23 पी0एस0ए0 तह0 रायसिंहनगर।

प्रार्थी

बनाम

कानाराम पुत्र बस्तीराम साकिन ठाकरी बारानी तहसील रायसिंहनगर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम।

उपस्थित : 1. श्री गुरजीतसिंह, राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी
2. अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 25–10–2000

निर्णय दिनांक : 20–06–22

हस्तगत प्रकरण जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक सीजी/वाचक/कार्यविभाजन/2022/36 दिनांक 14.01.2022 के द्वारा रायसिंहनगर तहसील कें राजस्व प्रकरणों का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को दिए जाने फलस्वरूप अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के पत्रांक 196 दिनांक 09.02.2022 द्वारा स्थानानरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

शिकायत प्रार्थना पत्र के तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी काना राम द्वारा चक 38 एन पी के मु0 नं0 217/325 के 5.061 है0 नहरी भूमि व मु0 नं0 13 के 20 वीघा नहरी भूमि सन् 1961 में तथ्य छिपा कर आवंटन करवा ली गई जिसकी सनद सं0 71358 दिनांक 27–9–95 को जारी करवा ली गई। कानाराम का पेशा न तो काश्तकारी है और न ही वह भूमिहीन है तथा न ही वह राजस्थान का मूल निवासी है। अप्रार्थी के लड़कों कमशः भैरा राम के नाम ठाकरी बारानी के मु0 नं0 410 की 12.10 वीघा बारानी भूमि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के आदेश कमांक 2177 दिनांक 18.8.82 के द्वारा, भागा के नाम मु0 नं0 410 की 12.05 वीघा बारानी भूमि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के आदेश कमांक 2167 दिनांक 18–8–82 के द्वारा, टीकू के नाम मु0 नं0 427 की 12–05 वीघा बारानी भूमि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के आदेश कमांक 2167 दिनांक 18.8.82 के द्वारा एवं मोहन के नाम मु0 नं0 411 की 25–00 वीघा भूमि व मु0 नं0 428 के 12–05 वीघा भूमि कुल 37–10 वीघा भूमि कलक्टर महोदय के आदेश कमांक 7331 दिनांक 11–9–61 के द्वारा चक ठाकरी बारानी में आवंटन करवा लिया गया

Scanned with OKEN Scanner

जबकि अप्रार्थी द्वारा उक्त रकबा को गलत रूप से आवंटन करवाया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि जॉच की जाकर आवंटित रकबा को खारिज किया जावे।

शिकायत प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

शिकायत के संबंध में तहसीलदार, रायसिंहनगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट कमांक 4453 दिनांक 31-12-96 के अनुसार चक 38 एन पी का मु0 नं0 13 में 5.061 है0 रकबा में से मनी राम 3615 हिस्सा, पैमाराम .723 हिस्सा , भेरा राम .723 हिस्सा पिसरान काना राम के नाम से खातेदारी है। यह रकबा कानाराम पुत्र बस्ती मेघवाल साकिन ठाकरी के नाम से वर्ष 1961 में आवंटन हुआ था। आवंटी कानाराम फौत हो चुका है। उक्त भूमि पर आवंटी के वारिस मनीराम, पैमाराम,भेरा राम पिसरान कानाराम का कब्जा काश्त है।

तहसीलदार, रायसिंहनगर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 565 दिनांक 3-6-22 द्वारा अवगत कराया है कि शिकायतकर्ता दर्शनसिंह जीवित है तथा उसके द्वारा करीबन 15-20 वर्ष पूर्व आपसी विवाद के कारण शिकायत की गई थी, अब वह उस शिकायत में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। उक्त रिपोर्ट के साथ दर्शनसिंह के बयान कलमबद्ध कर संलग्न किये हैं।

विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण में मुख्य रूप से यह देखा जाना है कि अप्रार्थी द्वारा क्या तथ्यों को छिपा कर भूमि का आवंटन करवाया गया है ?

आवंटन पत्रावली के अवलोकन से पाया गया है कि कानाराम द्वारा भूमि आवंटन के प्रार्थना पत्र में चक 38 एन पी के मु0 नं0 13 व 12 की कुल 50 बीघा नहरी भूमि के आवंटन की प्रार्थना दिनांक 12-9-57 को की थी। पटवारी ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि चक 38 एन पी में मु0 नं0 13 की 20 बीघा भूमि सम्वत् 2007 से 2014 तक लगातार टी0 सी0 पर रही है। अपने बयान दिनांक 31-5-58 में कानाराम ने कथन किया है कि उसके पास कोई घरू जमीन नहीं है। चक 38 एन पी में मु0 नं0 13 की 20 बीघा सन् 1950 से आराजी काश्त पर अलॉट है, जिसको वह काश्त करता है। शेष इस मुरब्बे की 4 बीघा 10 बिस्वा नहरी जमीन और है, वह भी उसे अलॉट की जावे। कमेटी की राय के अनुसार चक 38 एन पी के मु0 नं0 13 की 20 बीघा नहरी कृषि भूमि दिनांक 16-3-61 को पुख्ता अलॉट की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा ऐसी कोई सारवान साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे यह साबित होता हो कि आवंटी कानाराम भूमिहीन न हो, राजस्थान का मूल निवासी न हो और पेशा काश्तकार न हो। आवंटित भूमि की सनद दिनांक 27-9-95 को जारी हो चुकी है। कानाराम के पुत्रों के नाम से जो भूमि है, वह भूमि शिकायतकर्ता स्वयं ने अपने प्रार्थना पत्र में उनको अलॉट होने का तथ्य एवं सनद जारी होने का तथ्य अंकित किया है। तहसील रिपोर्ट दिनांक 3-12-99 के अनुसार भी कानाराम को वर्ष 1961 में चक 38 एन पी के मु0 नं0 13 की 5.061 है0 यानि 20 बीघा के आवंटन होने के तथ्य को पुष्ट करती है। आवंटी कानाराम के देहान्त के बाद उसके विधिक उत्तराधिकारी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप निष्कर्ष यह निकलता है कि शिकायत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि तहसील रिपोर्ट एवं आवंटन पत्रावली से नहीं होती है। अतः शिकायत सारहीन होने से खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 20.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कविता अंजारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्री गंगानगर।